134

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2020 / FP/UK/ROAD/48385/2020 :देहरादूनःदिनांकः 1 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2021

सेवा में,

वन महानिरीक्षक एफ०सी०,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
कमरा नं0–**A-361 IIIrd floor**,
अग्नी ब्लाक, इन्दिरा पर्यावरण भवन,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली, पिन–110003.

विषयः– जनपद पौडी गढवाल में कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौ रेंज के पाखरौ क0स0–3 एवं 8 में टाईगर सफारी की स्थापना हेतु 106.16 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु कार्बेट टाइगर रिजर्व को सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–भारत सरकार की पत्र संख्या 8–12/2020–एफ0सी0 दिनांक 30–10–2020।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाईगर रिर्जव वन प्रभाग, लैन्सडौन की पत्र संख्या–1157/12–1 दिनांक 27–01–2021 के द्वारा कतिपय सूचनायें इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति अपरिवर्तनीय रहेगी।
2. **NTCA** व **CZA** द्वारा टाइगर सफारी की स्थापना हेतु वैधानिक स्वीकृति निर्गत करने के समय अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
3. टाइगर सफारी में आधारभूत संरचना में बांस एवं अन्य प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया जायेगा।
4. टाइगर सफारी की स्थापना हेतु गैर वानिकी कार्यो के लिये अनुमन्य भूमि **16.00** है0 के बदले **16.00** है0 क्षेत्र ग्राम जुवा, पटटी–सीला.**4,** तहसील–कोटद्वार के अन्तर्गत श्रेणी–**9(3)** ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि खाता संख्या–**28/79** कुल रक्वा **20.349** है0 भूमि में से **16.00** है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0–**49.56** लाख की धनराशि जमा कर दी गई है। वृक्षारोपण में स्थानीय देशी प्रजातियों का रोपण किया जायेगा तथा एकल प्रजाति के रोपण को परिवर्जित किया जायेगा।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का हस्तान्तरण/अमलदरामद वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके **10** वर्षो की अवधि के रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जा चुकी है।

a. गैर–वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तित **16.00** है0 वन भूमि के सापेक्ष **NPV** एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0–**199.80** लाख **RTGS** के माध्यम से भारत सरकार के उपक्रम **Corporation Bank Branch,Block-11 CGO Complex Phase-1 New Delhi 110003** के खाता संख्या **1508919948385795** में जमा की जा चुकी है। **RTGS** चालान की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

b. भविष्य में यदि प्रत्यावर्तित वन भूमि के सापेक्ष **NPV** की धनराशि में वृद्वि होती है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त धनराशि जमा कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**

7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पेड़ों के कटान पर होने वाले व्यय को, यदि वन विकास निगम मांग करता है, तो प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा कर दिया जायेगा।

o/c

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की रेख–देख में टाइगर सफारी की स्थापना हेतु न्यूनतम वृक्षों का कटान जिसकी संख्या प्रस्ताव में उल्लिखित ऑनलाइन वृक्षों की संख्या **163** से कम होगी किया जायेगा।
9. टाइगर सफारी की स्थापना हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशि परिवेश ई–पोर्टल **(parivesh.nic.in)** के माध्यम से **Generated** चालान द्वारा कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। जमा धनराशि के चालान की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2 के अनुसार)**
10. वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी, जनपद–पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
11. प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल **parivesh.nic.in** पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 1/2/21

प्रमुख वन संरक्षक

कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं

नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 2020 / **FP/UK/ROAD/48385/2020 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर, (नैनीताल)।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाईगर रिर्जव वन प्रभाग, लैन्सडौन।

1/2/21

(डी0जे0के0 शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक

कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं

नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।